अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से .....तक

जिला.....सं0.....सन् 16.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0 – 90/2013 अपीलार्थी – कमला देवी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के ज्ञापांक 1406/प्रो0 दिनांक 19.09.2013 के पारित आदेश के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु दायर किया गया है। इस अपीलवाद में आरोप यह है कि मरौना परियोजना के केन्द्र सं0 – 05 सुरी टोला पर सी0डी0 पी0ओ0 किशनपुर द्वारा दिनांक 30.05.2013 को 10 बजे पूर्वाहन में "बाल पोषाहार निरीक्षण किया" गया। निरीक्षण के समय केन्द्र की सेविका श्रीमती कमला देवी अनुपस्थित थी, किन्तु सहायिका उपस्थित थी। सेविका श्रीमती कमला देवी की अनुपस्थिति के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने कार्यालय पत्रांक 1108/प्रो0 दिनांक 23.07.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं दिनांक 30.07.2013 को उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेने हेतु निर्देश दिया	

गया कमला देवी ने निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण/पक्ष जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने समक्ष रखा।

सेविका श्रीमती कमला देवी ने अपना स्पष्टीकरण में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल को अवगत कराया कि निरीक्षण तिथि को वह अपने बीमारी के ईलाज हेतु दरभंगा चली गई थी, ईलाज में जाने के पहले ही वह अपनी अनुपस्थिति के संबंध में परियोजना कार्यालय मरौना (निर्मली) में जाकर अपना छुट्टी आवेदन वहाँ कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रिसीव (Recevied) कराई थी, एवं इसकी सूचना पंचायत के मुखिया एवं केन्द्र की सहायिका को लिखित रूप में दी थी। किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने सेविका द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण को अमान्य कराकर करते हुए चयनमुक्ति आदेश ज्ञापांक 1406 दिनांक 19.09.2013 द्वारा सेविका केन्द्र निरीक्षण तिथि में अनुपस्थित रहने के आरोप लगाकर चयन मुक्ति आदेश निर्गत कर दिए।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष, कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि दिनांक 30.05.2013 को 10:बजे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किशनपुर द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय कुल 23 लाभुक बच्चें केन्द्र पर मौजूद थे सहायिका उपस्थित थी, किन्तु सेविका अपनी अवस्थता के कारण अनुपस्थित थी। अस्वस्थ होने के कारण सेविका अपना ईलाज कराने हेतु दरभंगा चली गई थी, छुट्टी में जाने से पूर्व वह अपना छुट्टी आवेदन दिनांक 28.05.2013 से 02.06. 2013 तक का छुट्टी अवकाश परियोजना कार्यालय निर्मली में स्वयं जाकर वहाँ कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रिसीव कराई थी उन्हें छुट्टी आवेदन रिसीव कराने का कारण यह था कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में नहीं थी वे क्षेत्र भ्रमण में निकली हुई थी। इसके साथ ही छुट्टी आवेदन की एक–एक प्रति पंचायत के मुखिया/संबंधित केन्द्र की सहायिका को सौप कर वह ईलाज कराने मुख्यालय से बाहर दरभंगा गई थी विद्वान अधिवक्ता ने छुट्टी आवेदन का साक्ष्य कागजात अवलोकन हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किए इसके साथ ही मुखिया एवं संबंधित सहायिका को भी उपलब्ध कराये गए छुट्टी आवेदन को अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि सेविका अपने अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी में जाने से पहले से ही अपना ईलाज पूर्व से ही दरभंगा में कराती आ रही है। साक्ष्य के दौर पर उन्होंने डॉ0 के0के0 यादव एवं डॉ0 उषा यादव दरभंगा का

(Specialist heart & chest diseases) का संलग्न पुर्जा अवलोकन कराया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि सेविका हृदय रोग से ग्रसित थी इस लिए वह अपना ईलाज मरौना प्रखंड में किसी कुशल हर्ट चिकित्सक के न रहने के कारण दरभंगा में हृदय रोग विशेषयज्ञ डॉ0 के0के0 यादव से पूर्व से कराती रही है पुनः तबियत खराब होने के कारण उन्हीं के पास अपनी जीवन रक्षा हेतु छुट्टी लेकर चिकित्सा कराने गई थी।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि जब सेविका चिकित्सा कराने दरभंगा गई थी तो उन्होंने अपना सारा कार्यभार सहायिका को सुर्पुद कर एवं सारी बाते स्थानीय पंचायत के मुखिया को संज्ञान में देकर प्रस्थान की थी चुँकि सरकारी मार्ग दर्शिका में यह भी अंकित है कि सेविका की अनुपस्थिति में सहायिका एवं सहायिका के अनुपस्थिति में सेविका को अपने दायित्वों का निर्वहन का दायित्व सौपा गया है अतः केन्द्र का समुचित संचालन एवं कार्यान्वयन अब सहायिका को निभाना था।

इस संबंध में विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बतलाया कि यह बात सही है कि सेविका अस्वस्थ थी अपनी चिकित्सा हेतु ईलाज कराने दरभंगा चली गई किन्तु उन्होंने जो आवेदन परियोजना कार्यालय में समर्पित किया वह वही के कायर्रत डाटा ऑपरेटर श्री पंकज कुमार का है इसका भी सत्यापन किया जाना चाहिए।

सरकारी अधिवक्ता के उपरोक्त बयान कि क्या वास्तव में सेविका ने अपना आवेदन परियोजना कार्यालय में दिया है या नहीं इस कार्यालय के पत्रांक 166 दिनांक 24.07.2014 द्वारा इसका सत्यापन कराया गया जिसमें सत्यापन के बाद यह बात सामने आया कि वास्तव में कमला देवी ने अपना आवेदन डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्राप्ति कराए थे। इसका सत्यापन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मरौना ने भी किए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश में यह अंकित है कि आवेदिका द्वारा छुट्टी आवेदन रिसीव कराने के बाद इसकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है। माननीय उच्च न्यायालय पटना का उद्धरण इस प्रकार है She could not be expected to move office to office or person to person for authorization of leave.

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आँगनबाड़ी सेविका के मार्ग दर्शिका के कंडिका 9 में यह वर्णित है कि सेविका द्वारा 15 दिनों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति रहने पर या अपराधिक घटना में सामिल होने पर ही स्पष्टीकरण पुछकर जिला

प्रोग्राम पदाधिकारी/ निरीक्षी पदाधिकारी चयन मुक्ति की कार्रवाई करेंगे। किन्तु यहाँ तो सेविका ने अपनी जीवन रक्षा के लिए छुट्टी का आवेदन रिसीव कराकर ईलाज कराने हेतु गई थी, तो इसके सेविका की कोई गलती नहीं मानी जानी चाहिए।

उपरोक्त सारे विवेचनाओ एवं निष्कषों के अधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि चुँकि सेविका अस्वस्थ थी अपना ईलाज करने हेतु छुट्टी का आवेदन देकर वह प्रस्थान की थी केन्द्र का संचालन करने का दायित्व सहायिका को था ऐसी परिस्थिति में सेविका का चयन मुक्ति आदेश नियमतः सही नहीं था। अतः यह न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1406 दिनांक 19.09.2013 को निरस्त करती है एवं सेविका को आदेश देती है कि वे संबंधित केन्द्रो पर आदेश निर्गत की तिथि से अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति कुशलता पूर्वक करेंगी उनसे अनुरोध है कि केन्द्रों का संचालन गुणवता पूर्वक एवं Responsibility के साथ करें।

लेखापित एवं संशोधित

1.11.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

1.11.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा